ग्राम पंचायत बुच्छैर विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018

1 (क) प्रस्तावना

11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बुच्छैर, विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री महिंदर सिंह	1.4.15 से 22.11.15 तक
2	श्रीमति सुनीता देवी	23.01.15 से 31.3.18 तक

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री लाल सिंह	1.4.15 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत बुच्छैर के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु	1.10
2	7	अनुदान का उपयोग न करना	37.05
3	8	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामग्री की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियाँ न करना	0.55
4	9	निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना	1.56
5	15	बिना भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के शौचालयों का निर्माण का भुगतान करना	3.25

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बुच्छैर, विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियंत्रक

द्वारा दिनांक 20.12.2018 से 22.12.18, व 26.12.18 से 31.12.18 के दौरान ग्राम पंचायत बुच्छैर के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2015-16	03/2016	6/2015
2016-17	04/2016	08/2016
2017-18	07/2017	06/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बुच्छैर, विकास खण्ड आनी जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000 आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 31.12.2018 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत, **बुच्छैर** से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015.16	649212	6414179	7063391	3707379	3356012
2016.17	3356012	5382159	8738171	5963095	2775076
2017.18	2775076	4213525	6988601	3284028	3704573

Detail of Bank balance as on 31.3.2018

Amt.

1	KCCB A/c No 200200055299(General)	468781.00
2	KCCB A/c No 20020005256 (Own Source)	3144681.00
3	KCCB A/c No 20020005799 (13 Th F.C)	41270.00
4	Cash in hand(General cash book)	249.00
5	**Total**	**3654981.00**
6	Balance as per cash book as on 31.3.2018	3704573
7	Bank balance as on 31.3.2018	3654981
8	Difference	49592

टिप्पणीः–1 ग्राम पंचायत बुच्छैर द्वारा स्व–स्त्रोत (खाता ''क'') के आय–व्यय के लिए नियमानुसार ही KCCB ANNI बचत खाता 20020005256 अलग से खोलकर तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

टिप्पणीः–2 पंचायत की वित्तीय स्थिति वर्ष 2015–16 में अथशेष बैंक पास बुक का दिनांक 1.4.15 का शेष लिया गया था क्योंकि रोकड़ बही का दिनांक 31.3.15 का अन्तिम शेष नहीं दर्शाया गया था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

4.1 दिनांक 31-3-18 को रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में ₹0.50 लाख के अन्तर बारे:-

ग्राम पंचायत बुच्छैर के अवधि 1-4-15 से 31-3-2018 तक की संकलित वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31-3-18 को विभिन रोकड़ बहियों का अंतिम शेष ₹3704573 था जबकि दिनांक 31-3-18 को पंचायत के बिभिन बैंक खातों में व हस्तगत राशि के अनुसार ₹3654981 जमा थे I इस प्रकार दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक के शेष में ₹49592 (3704573 -3654981) का अन्तर था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 26.12.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अन्तर की राशि ₹49592 का शीघ्र मिलान किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत बुच्छैर की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता-क एवं खाता-ख के अनुरूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाव न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹1.10 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव बुच्छैर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹96230 वसूली हेतु शेष थी जिसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए|

(i) गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	36690	31750	68440	29110	39330
2016-17	39330	33750	73080	8650	64430
2017-18	64430	33750	98180	1950	96230

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था I अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया I अत: अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए Iकृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएI

(iii) मोबाईल टावर फीस की ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेष

ग्राम पंचायत बुच्छैर द्वारा प्रस्तुत सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित AirTel कम्पनी से मोबाइल टावर का नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹14000 की राशि वसूली योग्य शेष बनती है| अतः उक्त राशी को सम्बन्धित संस्था से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए |

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	4000	5000	9000	5000	4000
2016-17	4000	5000	9000	00	9000
2017-18	9000	5000	14000	0	14000

6. बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान ₹37.05 लाख का उपयोग न करना

पंचायत **द्वारा** अनुदानों और स्व: स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल **₹3704573** उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-1** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की

स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

8 क्रय किए गए ₹0.55 लाख के स्थाई एवं अस्थाई सामग्री की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत **द्वारा ₹54750** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-3"** में दिया गया है क्रय किया गया था लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 2 दिनांक 17-12-18 द्वारा उक्त क्रय से सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार क्रय किये गए **₹54750** के सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । अत: क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. ₹1.56 लाख के निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध ना करवाना

लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 2 दिनांक 27-12-18 द्वारा **परिशिष्ट-4 में** दर्शाए निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका, निर्माण कार्य सामग्री के स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए I माप पुस्तिका एवं अन्य निर्माण कार्यों के अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्यों तथा निर्माण कार्यों मे मस्ट्रोल द्वारा मजदूरी के भुगतान की जाँच नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 ₹6000 के भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

लेखा परीक्षा के दोरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही मे वाउचर संख्या 64 दिंनाक 28-6-2017 द्वारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ₹6000 का भुगतान किया गया दर्शाया गया परन्तु उक्त वाउचर को अंकेक्षण मे प्रस्तुत करने हेतु लेखा परीक्षा ज्ञापन संख्या 3 दिंनाक 29-12-2018 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त वाउचर अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में उपरोक्त भुगतान की जांच नहीं की जा सकी।अतः उक्त वाउचर अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित वाउचर आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹6000 की वसूली सम्बन्धित से की जाए I

11 मस्ट्रोल में कटिंग व ओवर राइटिंग किया जाना :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा किये मस्ट्रोलों के भुगतानों में अत्यधिक कटिंग व ओवर राइटिंग की गई थी उदाहरणत: सामान्य निधि के वाउचर संख्या 26 दिनांक 25 -6 -2015 द्वारा सगाहनाला पर पैदल पुल के निर्माण पर ₹14944 का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया था :-

मस्ट्रोल कि अवधि	भुगतान का विवरण	दिन	दर	योग
9 -11 -2014 से	मिस्त्री का भुगतान	7	192	1344
28 -11 -2014	मजदूर का भुगतान	80	170	13600
			योग	**₹14944**

उपरोक्त भुगतान में निम्न अनियतमितत्ताएं पाई गई :-

(1) मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा कार्य 9-11-2014 से 28-11-2014 तक किया गया दर्शाया गया था जबकि मस्ट्रोल में उपस्थिति 8-11-2014 से 30-11-2014 तक दर्शायी गई है अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये !

(2) मस्ट्रोल में माह व दिनांक में भी कटिंग/ ओवर राइटिंग की गई

(3) मस्ट्रोल की क्रम संख्या 4 में भी श्री राम लाल व क्रम संख्या 7 पर श्री केवल राम व 11 पर श्री चुनी लाल कि उपस्थितियों में ओवर राइटिंग कि गई थी !

इस प्रकार मस्ट्रोल में ओवर राइटिंग / कटिंग किया जाना एक गंभीर अनियमितता है I अत: मस्ट्रोल में इस कटिंग / ओवर राइटिंग बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भबिष्य में मस्ट्रोल में कि गई प्रत्येक कटिंग/ ओवर राइटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए ! अत: यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में ग्राम पंचायतों को इस प्रकार कि अनियमिततायें न दोहराने हेतु उचित निर्देश देने हेतु लाया जाता है !

12 जल रक्षक को भुगतान किये गये ₹0.12 लाख के मानदेय के वाउचर अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करने बारे

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार जल रक्षक को ₹12150.00 के मानदेय का भुगतान किया गया I परन्तु मानदेय वाउचर अंकेक्षण मे

प्रस्तुत न किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित वाउचर आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए I

वाउचर संख्या	दिंनाक	नाम	अवधि	राशी
27	10-8-16	श्री प्रदीप कुमार	1-11-2015 से 31-1-2016	4050
28	10-8-16	श्री निर्मल कुमार	1-11-2015 से 31-1-2016	4050
29	10-8-16	श्री राकेश कुमार	1-11-2015 से 31-1-2016	4050
			कुल योग	**₹12150**

13 ₹110.00 का अधिक भुगतान किया जाना :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही से निम्न विवरणानुसार ₹110 का अधिक भुगतान किया गया था :-

वाउचर संख्या	दिंनाक	जिसे भुगतान किया	विवरण	भुगतान देय	भुगतान की गई राशी	अधिक भुगतान	टिपणी
12	10-6-2015	मै0 केलाश ओपरेटर (गैस चुल्ल्हा)	गैस चुला मुरम्मत	550	650	100	भुगतान की रसीद मे राशी 550 को ओवर राइटिंग द्वारा 650 किया गया है जो नियमो के विपरीत है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशी की बसूली उचित सत्रोत से करके पंचायत निधि मे जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए
18	24-6-2015	मै0 मेद राम भारती खचर मालिक	सीमेंट ढुलान 17 बैग @ 70 प्रति बैग	1190	1200	10	अधिक भुगतान कि राशि को पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
					योग	**₹110**	

14 रेत बजरी इत्यादी भवन निर्माण सामग्री के ढुलान बिल मे ढुलान की गई सामग्री व ढुलान किये गये स्थान का विवरण न दिया जाना :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि भवन निर्माण सामग्री रेत बजरी इत्यादि के ढुलान बिलो मे निम्न आपतियां पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

वाउचर संख्या	दिंनाक	जिसे भुगतान किया गया	विवरण	राशी	टिपणी
10 समान्य निधि	2-6-2015	□□□ □□□ □□□ (Owner H.P 35 3239)	ढुलान	800	ढुलान किस निर्माण सामग्री का किया गया इसका कोई विवरण नहीं दिया गया
15	24-6-2015	इश्वर दास	बजरी 20 बैग	1500	ढुलान किस स्थान से किस स्थान को किया गया इस का विवरण नहीं दिया गया
16	24-6-2105	इश्वर दास	बजरी 20 बैग	1400	ढुलान किस स्थान से किस स्थान को किया गया इस का विवरण नहीं दिया गया
20	24-6-15	मै. रोशन लाल शर्मा	एक टिपर रेत विथल से जाओ	6000	बिल में वाहन संख्या नहीं दर्शाई गई थी
21	24-6-2015	मै. टी आर बॉस	-DO -	6000	बिल में वाहन संख्या नहीं दर्शाई गई थी
22	24-6-2015	मै. ईश्वर दास एंड संज जाओ	एक पिकप रेत	2500	बिल में वाहन संख्या नहीं दर्शाई गई थी

15 शौचालय निर्माण के लिए ₹3.25 लाख का भुगतान भौतिक निरीक्षण के बिना किया जाना :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्ग्रत निर्माण किये गए शौचालय के लिए इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–5** में दर्शाए गए व्यक्तियों को **₹325500** का भुगतान किया गया था । ग्राम पंचायत की दिनांक **12 - 03 - 14** की बैठक के प्रस्ताव संख्या **8** के अन्तर्गत उक्त भुगतान पंचायत द्वारा गठित भौतिक निरीक्षण कमेटी के भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही किया जाना अपेक्षित था । लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या **2** दिनांक **17–12–18** द्वारा उक्त से सम्बंधित भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्माण किये गए शौचालयों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी । अत: भौतिक समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के बिना भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा **₹325500** की वसूली उचित स्त्रोत से कर के अंकेक्षण को अवगत किया जाए ।

16 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15
4	**वर्गीकृत सार** (Classified Abstract)	8	29(4)
5	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमिततायें

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार Classified Abstract

का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 मनरेगा की रोकड़ बही का रख-रखाव न करना :-

मनरेगा से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.15 से 31.03.16 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। परन्तु सभी बिल एवं वाउचर पंचायत स्तर पर ही रखे जाते है इसलिए रोकड़ वही का लिखा जाना अनिवार्य है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

20 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " **परिशिष्ट – ई** " में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा ।

21 **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3) 43/19 खण्ड-1-4185-4188 दिनांक 12.6.2019
शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बुच्छैर, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881